राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

एफ.15(10)पंरावि/विधि/वि0ग्रा0स0/2024/ईफाईल 22379 जयपुर, दिनांकः–

1. मुख्य/अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
   ज़िला परिषद, समस्त (राजस्थान) ।
2. विकास अधिकारी,
   पंचायत समिति, समस्त (राजस्थान) ।

**विषयः–दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 को विशेष ग्राम सभा का आयोजन बाबत।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 को विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाना है। अतः आपके जिले की सभी ग्राम पंचायतों में उक्त विशेष ग्राम सभा में विकसित भारत पर जागरूकता, रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी–जी राम जी अधिनियम, 2025 (संलग्न नोट) आदि विषयों पर चर्चा की जाकर, नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

**संलग्न : उपरोक्तानुसार ।**

**(भारत भूषण गोयल)**
**उपायुक्त एवं**
**उप शासन सचिव (प्रथम)**

**प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–**

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
4. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
5. संयुक्त शासन सचिव, जिला आयोजना, मुख्यालय।
6. अधीक्षण अभियन्ता, मुख्यालय।
7. रक्षित पत्रावली।

**उपायुक्त एवं**
**उप शासन सचिव (प्रथम)**

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Bhushan Goyal
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2025.12.22 20:57:47 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 19535056

**THE SALIENT FEATURES OF THE VIKSIT BHARAT – GUARANTEE FOR ROZGAR AND AJEEVIKA MISSION (GARMIN): VB-G RAM G ACT, 2025**

**(i)** **PREAMBLE:** An Act to establish a rural development framework aligned with the national vision of Viksit Bharat @2047, by providing a statutory guarantee of one hundred and twenty-five days of wage employment in every financial year to every rural household whose adult members volunteer to undertake unskilled manual work; to promote empowerment, growth, convergence and saturation for a prosperous and resilient rural Bharat; and for matters connected therewith or incidental thereto.

**(ii)** **ENHANCED LIVELIHOOD GUARANTEE IN ALIGNMENT WITH VISION OF VIKSIT BHARAT:** Everyrural household whose adult members volunteer to do unskilled manual work shall have a statutory wage employment guarantee of One hundred and twenty-five days in every financial year.

**(iii)** **WORKS TO BE TAKEN UP UNDER THE Act:** All works and projects undertaken under the legislation shall form the Viksit Bharat National Rural Infrastructure Stack, with priority to water security through water-related works, core infrastructure, livelihood-related infrastructure and works for the mitigation of extreme weather events.

**(iv)** **PLANNING OF WORKS:** Planning for works shall be undertaken through Viksit Gram Panchayat Plans prepared by the Gram Panchayats and integrated with national spatial planning systems, including PM Gati-Shakti. Varying developmental needs of the Panchayats based on their geographical locations, advancement towards urbanisation etc, will be factored in while planning.

**(v)** **TO ENSURE ADEQUATE FARM LABOUR AVAILABILITY DURING PEAK AGRICULTURAL SEASONS:**In view of the enhanced wage employment guarantee for the rural workforce, it is also crucial to ensure the availability of farm labour, especially during the peak agricultural season. In this context, the Act shall have a provision to empower the States to notify in advance the periods aggregating to sixty days in a financial year, covering peak sowing and harvesting seasons, during which execution of works under this Act, shall not be undertaken.

**(vi) NATURE OF THE SCHEME**: The Scheme shall be implemented as a Centrally Sponsored Scheme. As specified in the Act, the States shall notify the scheme within a period of six months from the date of commencement of the Act.

**(vii) FUNDING PATTERN:**The fund-sharing pattern between the Central Government and the State/Union Territory (UT) Governments shall be 90:10 for the North Eastern States and Himalayan States/Union Territories (UTs), and 60:40 for all other States/Union Territory (UTs) with legislature.

**(viii) NORMATIVE ALLOCATION TO STATES:** The Central Government shall make normative allocation to each State based on a composite index comprising objective parameters and expenditure in excess of the approved normative allocation shall be the responsibility of the State Government.

**(ix) SPECIAL RELAXATIONS:** Special relaxations shall be permissible during natural calamities or extraordinary circumstances as decided by the Central Government, enabling temporary modifications to the provisions for timely response and relief.

**(x) IMPLEMENTATION STRUCTURE:** A National-Level Steering Committee shall exercise overall oversight of the Scheme and shall be responsible for the approval of Normative Allocations and such other functions as may be prescribed. A State Steering Committee shall have jurisdiction over the implementation of the Scheme within the State and shall provide state-specific oversight, supervision, and policy guidance in accordance with the directions issued at the national level.

**(xi) THE DISTRICT PROGRAMME COORDINATOR** :The District Programme Coordinator shall be the authority responsible for the planning, implementation, monitoring, and coordination of all activities under the Scheme at the district level, including coordination with all relevant line departments and authorities. The Programme Officer at the block level shall be responsible for the administration of the Scheme, including the processing and management of employment demands, management and supervision of worksites, and facilitation of participatory planning processes, as may be prescribed. The Gram Panchayat shall be responsible for the issuance of GrameenRozgar Guarantee Cards, the preparation of the Viksit Gram Panchayat Plans, and such other functions as prescribed in the Act.

(xii) **ROLE OF PANCHAYAT RAJ INSTITUTION:** The Gram Panchayat has the primary implementation role, responsible for registering workers, issuing GrameenRozgar Guarantee cards, and executing at least 50% of the works based on priority of works. The Gram Sabha shall also conduct regular Social Audits. The Intermediate (Block) Panchayats shall focus on block-level planning, consolidation of proposals, and facilitating convergence. The District Panchayats, through a dedicated Steering Committee, shall hold overall supervisory and monitoring responsibility, assisting the District Programme Coordinator (DPC) in preparing aggregate District Plans.

(xiii) **WAGE RATE:** The wage rates for manual work shall be specified by the Central Government for the purpose of the legislation. Until such time as separate rates are notified, the wage rates notified under Mahatma Gandhi NREGA shall be deemed to be the applicable rates.

(xiv) **UNEMPLOYMENT ALLOWANCE:** In the event that a rural household is not provided work within the prescribed time frame after submitting a demand, the State Government shall be liable to pay Unemployment Allowance as per the provisions in the Act.

(xv) **TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY:** Provision for transparency and accountability shall be ensured through Biometric authentication, spatial technology-enabled planning, mobile and dashboard-based monitoring, and weekly public disclosure systems. The Social Audit mechanism shall be strengthened.

***

**विकसित भारत – रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) : वीबी - जी राम जी (विकसित भारत – जी राम जी) अधिनियम, 2025 की प्रमुख विशेषताएँ**

1. **प्रस्तावना:** विकसित भारत @2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप समृद्ध एवं सुदृढ़ ग्रामीण भारत के लिए सशक्तिकरण, विकास, अभिसरण और संतृप्ति को बढ़ाकर तथा इससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों के लिए अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक सौ पच्चीस दिनों की मजदूरी-रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान कर; एक ग्रामीण विकास रूपरेखा स्थापित करने के लिए अधिनियम।

2. **विकसितभारतकेदृष्टिकोणकेअनुरूपबढ़ीहुईआजीविकागारंटी:** अकुशल शारीरिक श्रम करने इच्छुक प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक सौ पच्चीस दिनों की मजदूरी-रोजगार की वैधानिक गारंटी प्राप्त होगी।

3. **अधिनियमकेअंतर्गतशुरूकिएजानेवालेकार्य:** इस विधान के अंतर्गत शुरू किए जाने वाले सभी कार्य एवं परियोजनाएँ विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक का अंग होंगी, जिनमें जल-संबंधी कार्यों के माध्यम से जल सुरक्षा, मूलभूत अवसंरचना, आजीविका-संबंधी अवसंरचना तथा प्रतिकूल मौसमीय घटनाओं के शमन हेतु कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।

4. **कार्यों की आयोजना:** कार्यों की आयोजना विकसित ग्राम पंचायत आयोजना के माध्यम से की जाएगी, जिन्हें ग्राम पंचायतों द्वारा तैयार किया जाएगा तथा इन्हें पीएम गति–शक्ति सहित राष्ट्रीय स्थानिक योजना प्रणालियों के साथ एकीकृत किया जाएगा। पंचायतों की भौगोलिक स्थिति, नगरीकरण की दिशा में प्रगति आदि पर आधारित उनकी विविध विकासात्मक आवश्यकताओं को योजना निर्माण के दौरान ध्यान में रखा जाएगा।

5. **कृषिकेव्यस्ततमसमयकेदौरानपर्याप्तकृषिश्रमिकोंकीउपलब्धतासुनिश्चितकरना:** ग्रामीण कार्यबल के लिए बढ़ाई गई मजदूरी-रोजगार गारंटी को दृष्टिगत रखते हुए, विशेष रूप से बुवाई और कटाई के व्यस्ततम समय के दौरान, कृषि श्रम की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। इस संदर्भ में, अधिनियम में राज्यों को एक वित्तीय वर्ष में कुल मिलाकर साठ दिन की अवधि अधिसूचित करने का प्रावधान होगा, जिसके अंतर्गत बुवाई एवं कटाई की

व्यस्ततम समयावधि को सम्मिलित किया जा सकेगा तथा इस अवधि में इस अधिनियम के अंतर्गत सम्मिलित कार्य नहीं किए जाएंगे।

6. **योजनाकास्वरूप:** यह योजना केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में लागू की जाएगी। अधिनियम में विनिर्दिष्ट अनुसार, राज्य अधिनियम के प्रारंभ की तिथि से छह माह के भीतर योजना को अधिसूचित करेंगे।

7. **वित्तपोषणपद्धति:** केन्द्र सरकार और राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों के सरकारों के बीच निधि-साझेदारी की पद्धति पूर्वोत्तर राज्यों तथा हिमालयी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रोंके लिए 90:10 तथा अन्य राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 60:40 होगी।

8. **राज्योंकोमानकआधारितआवंटन:** केन्द्र सरकार, वस्तुनिष्ठ मानकों वाले एक संयुक्त सूचकांक के आधार पर प्रत्येक राज्य को मानक आधारित आवंटन करेगी और मानक आवंटन से अधिक व्यय की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की होगी।

9. **विशेषछूट:** प्राकृतिक आपदाओं अथवा असाधारण परिस्थितियों के समय, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्णय लिया जाए, विशेष छूट की अनुमति होगी, जिससे समय पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके एवं राहत हेतु प्रावधानों में अस्थायी संशोधन किया जा सके।

10. **कार्यान्वयन संरचना:** राष्ट्रीय स्तर की एक संचालन समिति योजना का समग्र पर्यवेक्षण करेगी तथा मानक आवंटनों के अनुमोदन एवं अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अन्य कार्यों के लिए उत्तरदायी होगी। राज्य संचालन समिति को राज्य में योजना के कार्यान्वयन का क्षेत्राधिकार होगा तथा यह राष्ट्रीय स्तर पर जारी निर्देशों के अनुरूप राज्य-विशिष्ट पर्यवेक्षण, निगरानी एवं नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करेगी।

11. **जिलाकार्यक्रमसमन्वयक:** जिला कार्यक्रम समन्वयक,जिला स्तर पर योजना के अंतर्गत सभी कार्यकलापों के योजना-निर्माण, कार्यान्वयन, निगरानी एवं समन्वय के लिए प्राधिकृत अधिकारी होगा, जिसमें संबंधित सभी लाइन विभागों एवं प्राधिकरणों के साथ समन्वय शामिल होगा। ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी, योजना के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा, जिसमें यथा विहित रोजगार मांगों की पूर्ति एवं प्रबंधन, कार्यस्थलों का प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण तथा सहभागितापूर्ण योजना-निर्माण प्रक्रियाओं का सुगमीकरणसम्मिलित है। ग्राम पंचायत ग्रामीण

रोजगार गारंटी कार्ड जारी करने, विकसित ग्राम पंचायत योजनाएँ तैयार करने तथा अधिनियम में विहित अन्य कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगी।

12. **पंचायतीराज संस्थाओं (पीआरआई) की भूमिका:** ग्राम पंचायत की प्राथमिक कार्यान्वयन भूमिका होगी तथा वह श्रमिकों का पंजीकरण करने, ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी करने तथा कार्यों की प्राथमिकता के आधार पर कम से कम 50 प्रतिशत कार्यों के निष्पादन के लिए उत्तरदायी होगी। ग्राम सभा नियमित सामाजिक अंकेक्षण भी करेगी। मध्यवर्ती पंचायतें,ब्लॉक-स्तरीय आयोजना, प्रस्तावों के समेकन एवं अभिसरण के सुगमीकरण पर ध्यान केंद्रित करेंगी। जिला पंचायतें, एक समर्पित संचालन समिति के माध्यम से, समग्र पर्यवेक्षण एवं निगरानी की जिम्मेदारी निभाएंगी तथा समेकित जिला योजनाएँ तैयार करने में जिला कार्यक्रम समन्वयक (डीपीसी) की सहायता करेंगी।

13. **मजदूरीदर:** अकुशल शारीरिक कार्यों हेतु मजदूरी दरें इस विधान के प्रयोजनार्थ केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएंगी। पृथक दरें अधिसूचित किए जाने तक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा) के अंतर्गत अधिसूचित मजदूरी दरें लागू मानी जाएंगी।

14. **बेरोजगारीभत्ता:** यदि किसी ग्रामीण परिवार को, मांग प्रस्तुत करने के पश्चात, निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्य प्रदान नहीं किया जाता है, तो राज्य सरकार अनुसूची–II में विहित दरों एवं शर्तों के अनुसार बेरोजगारी भत्ता का भुगतान करने के लिए बाध्य होगी।

15. **पारदर्शिताएवंजवाबदेही:** पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण, स्थानिक प्रौद्योगिकी आधारित (स्पैटियल टेक्नालॉजी) आयोजना, मोबाइल एवं डैशबोर्ड आधारित निगरानी तथा साप्ताहिक सार्वजनिक प्रकटीकरण प्रणालियों के माध्यम से प्रावधान किए जाएंगे। सामाजिक अंकेक्षण तंत्र को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा।

***

**TALKING POINTS FOR SPECIAL GRAM SABHA**
**ON**
**VIKSIT BHARAT – GUARANTEE FOR ROZGAR AND AJEEVIKA MISSION (GRAMIN):VB–G RAM G ACT, 2025**

1. The recently enacted "Viksit Bharat – Guarantee For Rozgar And Ajeevika Mission (GRAMIN):VB–G RAM G Act, 2025"passed by Parliament, is a historic step for rural households of the country.

2. Under this new Act, the guarantee of employment has been increased from 100 days to 125 days, which is a very significant change for the hardworking rural community.

3. Key features of this Act are as follows:

(i) Right to Unemployment Allowance:

Under the earlier Act, namely the Mahatma Gandhi NREGA, availing unemployment allowance was almost impossible due to several conditions. However, under the VB–G RAM G Act, 2025, all such restrictions have been removed. Now, if employment is not provided after demanding work, unemployment allowance will be automatically payable. This makes the right to employment a truly enforceable legal right.

(ii) Timely Payment of Wages:

There were often complaints regarding delays in wage payments. Now, if there is any delay in payment of wages, compensation for each delayed day will be paid along with the wages. This will enhance transparency and ensure that workers receive their full entitlement.

(iii) Autonomy in Planning at the Village Level:

Now, planning of works will be decided within the Gram Sabha itself. The Gram Panchayat will prepare its Developed Gram Panchayat Plan, for which participation of villagers will be mandatory.

(iv) Four Major Categories of Works:

- Works related to water security and conservation
- Works related to rural infrastructure
- Livelihood enhancement works
- Works to address climate change and adverse weather conditions

These four areas together, will be the foundation of development, empowerment, convergence, and sustainable livelihoods.

(v) Integration of Departments and Transparency:

Under this Act, all village-level works will be consolidated on the Developed India National Rural Infrastructure Stack. This will eliminate duplication, improve inter-departmental coordination, and will also help in preventing corruption.

(vi) Agriculture–Labour Coordination:

Under this Act, the State Government is empowered to designate a total period of 60 days for major agricultural activities related to sowing and harvesting. During this period, works under this Act will not be implemented, ensuring that agricultural operations are carried out smoothly.

(vii) Increase in Administrative Expenditure Limit:

In the new Act, the limit for administrative expenditure has been increased from 6% to 9%. This will help secure the services of field functionaries at all level, and enable their capacity building, thereby facilitating smoother implementation of the scheme.

(viii) Information regarding this new Act should be obtained only from official sources, and any required information may be obtained from the Panchayat office.

(ix) All ongoing works under MGNREGA are completely safe. No work will be stopped; all will be completed as planned. After VB–G RAM G Act comes into effect, new works will start under this Act. It means - no disruption, only more opportunities. The development of the village will move even faster.

(x) Once the VB–G RAM G Act, 2025is fully implemented, beneficiaries will not only receive 125 days of employment, but will also get the benefit of enhanced wage rates as provided under the Act.

(xi) Pamphlets, posters, and hoardings are being shared. Hoardings are to be installed at each Gram Sabha venue; posters are to be displayed at all Government offices, community halls, GP Bhawans, and Gram Sabha locations; and pamphlets are to be distributed among villagers for wider dissemination of information about the Act.

***

**विकसित भारत – रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन )ग्रामीण :(**
**वीबी–जी राम जी अधिनियम** , 2025**से सबंधित विशेष ग्राम सभा हेतु वार्ता बिन्दु**

**विषय**:

1. संसद द्वारा हाल ही मेंपारित किया गया "**विकसित भारत - रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन )ग्रामीण** :(**वीबी–जी राम जी** )**विकसित भारत–जी राम जी**(अधिनियम" देश के ग्रामीण परिवारों के लिए एक ऐतिहासिक कदम है।

2. इस नए अधिनियम में**रोजगार की गारंटी** 100 **दिनों से बढ़ाकर** 125 **दिन**कर दी गई है जो कि मेहनतकश ग्रामीण समाज के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन है।

3. इस अधिनियमकी कुछ प्रमुख विशेषताएँ निम्नवत हैं –

i. **बेरोजगारी भत्ता का अधिकार**:

पहले वाले अधिनियम, यानी महात्मा गांधी नरेगा में बेरोजगारी भत्ता का लाभ मिलना लगभग असंभव था क्योंकि उसमें कई शर्तें थीं। लेकिन विकसित भारत–जी राम जीअधिनियममें ये सब प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। अब यदि काम मांगने पर कार्य न मिले, तो बेरोजगारी भत्ता स्वतः मिलेगा। इससे रोजगार का अधिकार अब वास्तव में कानूनी अधिकार बन गया है।

ii. **समय पर मजदूरी भुगतान**:

कई बार मजदूरी में देरी होने की शिकायतें मिलती थीं। अब यदि मजदूरी में देरी होती है, तो**प्रत्येक विलंबित दिन का मुआवजा**मजदूरी के साथ दिया जाएगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और श्रमिकों को पूरा हक मिलेगा।

iii. **ग्राम स्तर पर योजना निर्माण की स्वतंत्रता**:

अब कार्यों की योजना**ग्राम सभा में ही तय की जाएगी।**कोई काम ऊपर से थोपा नहीं जाएगा। ग्राम पंचायत अपनी**विकसित ग्राम पंचायत योजना**तैयार करेगी, जिसके लिए ग्रामीणों का सहयोग अनिवार्य होगा।

iv. **कार्य की चार प्रमुख श्रेणियाँ**:

- जल सुरक्षा और संरक्षण कार्य
- ग्रामीण अवसंरचना से जुड़े कार्य
- आजीविका संवर्धन के कार्य
- जलवायु परिवर्तन व प्रतिकूल मौसम से निपटने वाले कार्य

ये चारों क्षेत्र मिलकर विकास, सशक्तिकरण, कन्वर्जेंस और स्थायी आजीविका का आधार बनेंगे।

v. **विभागों का एकीकरण और पारदर्शिता**:

इस अधिनियमके तहत गाँव के सभी कार्य**विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक** पर एकत्रित होंगे। इससे दोहराव बंद होगा, विभागों के बीच तालमेल बढ़ेगा और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी।

vi. **कृषि–मजदूरी समन्वय**:

इस अधिनियम में,राज्य सरकार द्वारा बुवाई एवं कटाई संबंधी मुख्य कृषि संबंधी गतिविधियों हेतु कुल मिलाकर 60 दिनों की अवधिनिर्धारित करने का प्रावधान है। इस दौरान इस अधिनियम के तहत कार्यों का क्रियान्वयन नहीं होगा ,जिससे कृषि कार्य निर्बाध रूप से संचालित हो सके।

vii. **प्रशासनिक मद में राशि की बढ़ोत्तरी** :

नए अधिनियम में प्रशासनिक मद की सीमा6% से बढ़ाकर 9%कर दी गई है। इससे ग्राम रोजगारसहायकों ,फील्ड एसिस्टेंट एवं तकनीकी सहायकोंकी सेवाएँ सुरक्षित रह सकेंगी और उनका क्षमता–विकास होगा, जिससे योजना का संचालन और सुगम होगा।

viii. इस नए अधिनियम के बारे में जानकारी**केवल सरकारी स्रोतों से**प्राप्त की जाए तथा इस संबंध में आयवश्यकतानुसार सूचना पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है ।

ix. मनरेगाकेतहतजोकामअभीचलरहेहैं, वो बिल्कुल सुरक्षित हैं। कोई भी काम रुकेगा नहीं, सब पहले की तरह पूरे होंगे। आगे VB–G RAM G लागू होने के बाद, इसके हिसाब से नए काम शुरू हो जाएंगे।

मतलब, काम में रुकावट नहीं —बल्कि ज्यादा मौके मिलेंगे। गाँव का विकास और तेज़ी से आगे बढ़ेगा।।

x. विकसित भारत–जी राम जी कानूनपूरी तरह लागू होने पर आपको न केवल 125 दिनों का रोजगार मिलेगा, बल्किअधिनियम के लागू होने पर नई बढ़ी हुई मजदूरी दरों का भी लाभ प्राप्त होगा ।

xi. पंपलेट, पोस्टर और होर्डिंग साझा किए जा रहे हैं। प्रत्येक ग्राम सभा स्थल पर होर्डिंग लगाया जाय; सभी सरकारी कार्यालयों, सामुदायिक भवनों, जी.पी .भवनों तथा ग्राम सभा स्थलों पर पोस्टर प्रदर्शित किया जाय; और अधिनियम से संबंधित जानकारी के व्यापक प्रसार हेतु पंपलेट ग्रामीणों के बीच वितरित किया जाय।

***

Government of India
Viksit Bharat - G RAM G
Salient Features
125 days of Guaranteed Wage Employment
Viksit Gram Panchayat Plan (VGPP) by Gram Sabha
Stronger provision for Unemployment Allowance
Convergence of all schemes in VGPP
Timely Wage Payment and Delay Compensation
Empowerment through Technology
Enhanced Guarantee. Unswerving Commitment. Efficient Governance.
Viksit Bharat!

सत्यमेव जयते
भारत सरकार
विकसित भारत - जी राम जी
के मुख्य बिंदु
125 दिन
की रोज़गार गारंटी
ग्राम सभा द्वारा
विकसित ग्राम
पंचायत योजना (VGPP)
बेरोज़गारी भत्ते
के लिए
बेहतर प्रावधान
VGPP
में सभी योजनाओं का
तालमेल
समय पर मज़दूरी
का भुगतान और
देरी होने पर मुआवज़ा
तकनीक के ज़रिए
सशक्तिकरण
बेहतर गारंटी। सम्पूर्ण प्रतिबद्धता। कुशल शासन।
विकसित भारत !

विकसित भारत - जी राम जी
सत्यमेव जयते
भारत सरकार
125 दिन
ग्रामीण
रोजगार की
नयी गारंटी
विकसित ग्राम पंचायत से विकसित भारत की ओर

Viksit Bharat - G RAM G
भारत सरकार
125 Days
Enhanced
Guarantee
of Rural
Employment
Viksit Gram Panchayats paving the way for Viksit Bharat

भारत सरकार

विकसित भारत - जी राम जी

# 125 दिन
# की रोज़गार गारंटी

बेरोज़गारी भत्ते के लिए बेहतर प्रावधान

समय पर मज़दूरी का भुगतान और देरी होने पर मुआवज़ा

ग्राम सभा द्वारा विकसित ग्राम पंचायत योजना

भारत सरकार

ग्रामीण विकास का
नया संकल्प
रोजगार की
नई गारंटी

## विकसित भारत - जी राम जी

# 125 दिन की रोज़गार गारंटी

बेरोज़गारी भत्ते के लिए बेहतर प्रावधान

समय पर मज़दूरी का भुगतान और देरी होने पर मुआवज़ा

ग्राम सभा द्वारा विकसित ग्राम पंचायत योजना